

## हेट स्पीच तथा ईशानदि

### प्रलिस के लयि:

भारत का वधिआयोग, हेट स्पीच, भारतीय दंड संहति (आईपीसी), राष्ठीय अपराध रकिरंड ब्यूरो (एनसीआरबी) ।

### मेन्स के लयि:

ईशानदि, हेट स्पीच, और उनके वनियमन ।

## चर्चा में क्यौं?

हाल ही में भारत में [हेट स्पीच](#), [ईशानदि](#) से संबंधति मामलों में वृद्धि हुई है ।

## हेट स्पीच

### परचिय:

- [भारत के वधिआयोग \(Law Commission\)](#) की **267वीं रपिर्ट** में हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लगी, यौन, धार्मकि वशिवास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है ।
  - इस प्रकार हेट स्पीच कोई भी लखिति या मौखकि शब्द, संकेत, कसिी व्यक्ती की सुनने या देखने से भय या डराना, या हसिा के लयि उकसाने का प्रतनिधित्त्व है ।

### संबंधति डेटा:

- [राष्ठीय अपराध रकिरंड ब्यूरो \(NCRB\)](#) के अनुसार, समाज में हेट स्पीच को बढ़ावा देने और असहष्णुता को बढ़ावा देने वाले दर्ज मामलों में भारी वृद्धि हुई है ।
  - वर्ष 2014 में केवल 323 मामले दर्ज कये गए थे, वर्ष 2020 में यह बढ़कर 1,804 हो गया ।

## ईशानदि से संबंधति वनियम:

### परचिय:

- [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#) की **धारा 295 (A)**, कसिी भी भाषण, लेखन, या संकेत को दंडति करती है जो "पूर्व नयिोजति और दुर्भावनापूर्ण इरादे से" नागरिकों के धरम या धार्मकि वशिवासों का अपमान करते हैं, इसके दो या फरि अधिकतम तीन साल की सजा व आर्थकि दंड का प्रावधान है

### सर्वोच्च न्यायालय की वयाख्या:

- **रामजी लाल मोदी मामला (1957):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की बेंच ने **धारा 295 (A) की वैधता की पुष्टि** की थी ।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दयिा कि [अनुच्छेद 19 \(2\)](#) सार्वजनकि व्यवस्था के लयि भाषण और अभवियक्ती की स्वतंत्रता पर युक्तयुक्त नरिबंधन की अनुमति देता है,
      - धारा 295 (A) के तहत सज़ा ईशानदि के गंभीर रूप से संबंधति है जो कसिी भी वर्ग की धार्मकि संवेदनाओं को ठेस पहुँचाने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से की जाती है ।
- **अधीकषक, केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ बनाम राम मनोहर लोहयिा मामला (1960):**
  - इसमें कहा गया है कि दयिा गए भाषण और इसके परणामस्वरूप होने वाले कसिी भी **सार्वजनकि अव्यवस्था** के बीच की कड़ी का **आईपीसी की धारा 295 (A) के बीच घनषिठ संबंध** है ।
  - इसके अलावा वर्ष 2011 में यह नषिकर्ष नकाला गया कि केवल भाषण जो "आसनन गैरकानूनी कार्रवाई के लयि उकसाने" के बराबर है, को दंडति कयिा जा सकता है ।
    - यानी अभवियक्ती को दबाने के औचित्य के रूप में सार्वजनकि अशांतिका उपयोग करने से पहले राज्य को एक उपकरण मलिना चाहयिे ।

## ईशानदि और हेट स्पीच कानूनों के बीच अंतर की आवश्यकता

- **बहुत व्यापक व्याख्या:**
  - भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण जानबूझकर कोई काम करता है या ऐसा कोई बयान देता है तो उसे दोषी माना जाएगा।
- **धारा 295 (A) में अभद्र भाषा के कानून शामिल हैं:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर कहा है कि शायद धारा 295 (A) कानून का लक्ष्य हेट स्पीच के पूर्वाग्रह को रोकना और समानता सुनिश्चित करना है।
- **कानूनों में स्पष्टता की कमी:**
  - हेट स्पीच कानून धर्म की आलोचना करने या उसका उपहास करने और अपने विश्वास के कारण व्यक्तियों या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह या आक्रामकता को प्रोत्साहित करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर आधारित हैं।
    - दूरभाग्य से इस स्पष्टीकरण और वास्तविक शब्दों के बीच एक बड़ी असमानता है जिसके कारण प्रशासन के सभी स्तरों पर कानून का अभी भी शोषण किया जा रहा है।

## आगे की राह

- ईशानदि जो आम तौर पर धर्म की आलोचना को प्रतिबंधित करती है, लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों से असंगत है।
  - एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में भाषण या आपत्तियों की कोई जाँच नहीं होनी चाहिये।
  - आस्था और हेट स्पीच के संरक्षण के बीच की सूक्ष्म रेखा का पालन करते हुए, ईशानदि को कानून के दायरे में रखना और इसे गैर-आपराधिक बनाना ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है।

## स्रोत : द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/hate-speech-and-blasphemy>

